

-  
**प्रेस नोट**  
**सराहनीय कार्य जनपद बागपत**

**दिनांक 11.10.2020**

- थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 25 हजार रुपये का ईनामी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक चाकू नाजायज बरामद।

➤ **पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी बागपत के नेतृत्व में थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा दिनांक 10.10.2020 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान रात्रि समय करीब 20:45 बजे ग्राम गौसपुर पीर के पास से वांछित अभियुक्त ताजू उर्फ ताजूददीन पुत्र नसरु निवासी ग्राम गौसपुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से एक चाकू नाजायज बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त ताजू उर्फ ताजूददीन षातिर गौ तस्कर रहा है यह थाना सिंघावली अहीर के मु0अ0सं0 237/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में वांछित चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत द्वारा 25 हजार रुपये का ईनाम धोषित किया गया था। अभियुक्त ताजू उर्फ ताजूददीन के विरुद्ध जनपद बागपत के थाना बडौत व सिंघावली अहीर पर गौवध व गैंगस्टर अधिनियम सहित 08 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सिंघावली अहीर पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➤ **अभियुक्त का नाम व पता-**

ताजू उर्फ ताजूददीन पुत्र नसरु निवासी ग्राम गौसपुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत। (25 हजार रुपये का ईनामी)

➤ **बरामदगी का विवरण :-**

एक चाकू नाजायज।

➤ **अभियुक्त ताजू उर्फ ताजूददीन का अपराधिक इतिहास-**

- 1-मु0अ0सं0 1188/2019 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 34/2020 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-मु0अ0सं0 09/2020 धारा 3/8 गौवध अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 4-मु0अ0सं0 27/2020 धारा 3/5ए/8 गौवध अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 5-मु0अ0सं0 28/2019 धारा 147, 148, 149, 307 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 6-मु0अ0सं0 32/2020 धारा 25/4 षस्त्र अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 7-मु0अ0सं0 237/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 8-मु0अ0सं0 324/2020 धारा 4/25 षस्त्र अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

- थाना बालैनी पुलिस द्वारा 25 हजार रुपये का ईनामी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक तमंचा मय कारतूस नाजायज बरामद।

➤ **पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी खेकडा के नेतृत्व में थाना बालैनी पुलिस द्वारा दिनांक 10.10.2020 को मुखबिर की सूचना पर रात्रि समय करीब 22:24 बजे बाल्मिकी मंदिर के पास सरकारी ट्यूबवैल से वांछित अभियुक्त मनोज पुत्र राज सिंह निवासी ग्राम हबीबपुर नगला थाना बालैनी जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस नाजायज बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त मनोज

थाना बालैनी के मु0अ0सं0 103/2020 धारा 307 भादवि व 104/2020 धारा 63 आबाकरी अधिनियम व 272, 273 भादवि में वांछित चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत द्वारा 25 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया गया था। अभियुक्त मनोज के विरुद्ध जनपद मेरठ व जनपद बागपत पर लूट व षराब तस्करी सहित 07 अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बालैनी पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➤ **अभियुक्त का नाम व पता—**

मनोज पुत्र राज सिंह निवासी ग्राम हबीबपुर नगला थाना बालैनी जनपद बागपत। (25 हजार रुपये का ईनामी)

➤ **बरामदगी का विवरण :-**

एक तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस नाजायज।

➤ **अभियुक्त मनोज का अपराधिक इतिहास—**

1—मु0अ0सं0 370/2015 धारा 392, 411, 427 भादवि थाना सरधना जनपद मेरठ।

2—मु0अ0सं0 81/2019 धारा 63 आबाकरी अधिनियम थाना बालैनी जनपद बागपत।

3—मु0अ0सं0 79/2019 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना बालैनी जनपद बागपत।

4—मु0अ0सं0 17/2020 धारा 63 आबाकरी अधिनियम थाना बालैनी जनपद बागपत।

5—मु0अ0सं0 103/2020 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) थाना बालैनी जनपद बागपत।

6—मु0अ0सं0 104/2020 धारा 63 आबाकरी अधिनियम व 272, 273 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत।

7—मु0अ0सं0 110/2020 धारा 3/25 षस्त्र अधिनियम थाना बालैनी जनपद बागपत।

➤ **थाना दोघट पुलिस द्वारा 20 हजार रुपये का ईनामी व डकैती में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, निषांदेही से डकैती में लूटा हुआ सामान बरामद।**

➤ **पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी बडौत के नेतृत्व में थाना दोघट पुलिस द्वारा आज दिनांक 11.10.2020 को मुखबिर की सूचना पर सुबह समय करीब 02:30 बजे ग्राम दाहा से डकैती में वांछित अभियुक्त बलराज पुत्र जर्नाधन स्वरूप निवासी साउथ सिविल लाइन थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त की निषांदेही से थाना कोतवाली मुजफ्फरनगर क्षेत्र पिन्ना चौराहे के पास गोदाम से अभियुक्त बलराज के हिस्से में आयी डकैती में लूटी हुई खाद्य सामग्री एक कटटा चावल, एक कटटा चीनी, एक कटटा दाल, 10 पेकैट सोयाबीन बडी, 10 पेकैट मैगी बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त बलराज थाना दोघट के मु0अ0सं0 91/2020 धारा 395, 120बी, 412 भादवि में वांछित चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत द्वारा 20 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया गया था। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त बलराज द्वारा अपने अन्य 08 साथियों के साथ मिलकर दिनांक 24.04.2020 को जंगल ग्राम बामनौली में केन्टर गाडी चालक बोबी सिंह पुत्र भूरे सिंह निवासी जगत पीपसी थाना फेजगंज भेता बदायु से खाद्य सामग्री से भरे केन्टर में डकैती डालकर सम्पूर्ण खाद्य सामग्री लूटकर ले जाने की घटना कारित की गई थी। डकैती में शामिल अभियुक्त बलराज के अन्य 08 साथी पूर्व में गिरफ्तार होकर जेल भेजे जा चुके हैं। अभियुक्त के विरुद्ध थाना दोघट पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➤ **अभियुक्त का नाम व पता—**

बलराज पुत्र जर्नाधन स्वरूप निवासी साउथ सिविल लाइन थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर। (20 हजार रुपये का ईनामी)

➤ **बरामदगी का विवरण :-**

डकैती में लूटी हुई खाद्य सामग्री—

1—एक कटटा चावल।

2—एक कटटा चीनी।

- 3-एक कटटा दाल।
- 4-10 पेकैट सोयाबीन बडी।
- 5-10 पेकैट मैगी।

- थाना रमाला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बासौली में हुई किषोर की हत्या की घटना में संलिप्त मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध एक तमंचा 315 बोर मय कारतूस व निषांदेही से हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल एक डंडा बरामद।

#### पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी बडौत के नेतृत्व में थाना रमाला पुलिस द्वारा प्रकाश मे आये तथ्यों व प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 11.10.2020 को मुखबिर की सूचना पर सुबह समय करीब 08:20 बजे जंगल ग्राम सूप से षेखर की हत्या में संलिप्त मुख्य अभियुक्त विषान्त पुत्र राजबीर निवासी ग्राम बासौली थाना रमाला जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से अवैध एक तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस व निषांदेही से ग्राम बासौली से लोकन्द्र पुत्र छोटा के ईख के खेत मे बने कमरे की छत से हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल एक डंडा बरामद किया गया है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.06.2020 को थाना रमाला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बासौली में षेखर उम्र 17 वर्ष पुत्र पदम कुमार निवासी ग्राम बासौली थाना रमाला जनपद बागपत की हत्या की घटना में उक्त अभियुक्त विषान्त मुख्य आरोपी था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना रमाला पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### अभियुक्त का नाम व पता-

विषान्त पुत्र राजबीर निवासी ग्राम बासौली थाना रमाला जनपद बागपत।

#### ➤ बरामदगी का विवरण :-

- 1-अवैध एक तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस।
- 2-निषांदेही से हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल एक डंडा।

- थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक षातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के सोने-चांदी के आभूषण व 2600 रुपये नकद बरामद।

#### ➤ पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी बागपत के नेतृत्व में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा दिनांक 10.10.2020 को मुखबिर की सूचना पर सायं समय करीब 17:00 बजे बस स्टैण्ड ग्राम सरूरपुर से एक षातिर चोर विषाल पुत्र मुकेश निवासी ग्राम खेकडी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 2600 रुपये, एक जोडी सोने के झुमके, एक जोडी सोने के कान के टॉप, एक सोने का कुण्डल, 06 नौज पिन, 34 चांदी के सिक्के, एक चांदी की तगडी, 03 चांदी की पाजेब, एक चांदी का कुण्डल, 17 जोडी चांदी के बिछवे नाजायज बरामद किये गये है। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त विषाल द्वारा दिनांक 06.10.2020 की रात्रि को ग्राम खेडकी से जितेन्द्र पुत्र आसाराम निवासी ग्राम खेडकी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के घर व अलमारी का ताला तोडकर सोने-चांदी के आभूषण व 2600 रुपये नकद चोरी करने की घटना कारित की गई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाल बागपत पर मु0अ0सं0 743/2020 धारा 457, 380 भादवि पंजीकृत किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### ➤ अभियुक्त का नाम व पता-

विषाल पुत्र मुकेश निवासी ग्राम खेकडी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

#### ➤ बरामदगी का विवरण :-

### **चोरी के सोने-चांदी के आभूषण-**

- 1-चोरी के 2600 रूपये।
- 2-एक जोड़ी सोने के झुमके।
- 3-एक जोड़ी सोने के कान के टॉप।
- 4-एक सोने का कुण्डल।
- 5-06 नौज पिन।
- 6-34 चांदी के सिक्के।
- 7-एक चांदी की तगडी।
- 8-03 चांदी की पाजेब।
- 9-एक चांदी का कुण्डल।
- 10-17 जोड़ी चांदी के बिछवे।

### ➤ **थाना रमाला पुलिस द्वारा एक चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक बैटरी नाजायज बरामद।**

---

**थाना रमाला-** पुलिस द्वारा आज दिनांक 11.10.2020 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम बिराल चौराहे से अभियुक्त अरविन्द पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम बिराल थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की एक बैटरी नाजायज बरामद की गई है। अभियुक्त द्वारा अपने अन्य 02 साथियों के साथ मिलकर दिनांक 06/07-09-2020 की रात्रि को ग्राम किषनपुर में अनिल पुत्र यषपाल की जिम से जिम का सामान व इन्वेंटर बैटरी चोरी कर ले गये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 137/2020 धारा 380, 411 भादवि पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना रमाला पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### ➤ **थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

---

**थाना चांदीनगर-** पुलिस द्वारा आज दिनांक 11.10.2020 को मु0अ0सं0 180/2020 धारा 323, 504, 506, 332, 353 भादवि में वांछित अभियुक्त विकास पुत्र नरेश निवासी ग्राम गौना थाना चांदीनगर जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना चांदीनगर पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### ➤ **थाना छपरौली पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार।**

---

**थाना छपरौली-** पुलिस द्वारा आज दिनांक 11.10.2020 को वारंटी अभियुक्त इकबाल पुत्र आस मौहम्मद निवासी ग्राम सिलाना थाना छपरौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना छपरौली पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।